A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 70 / 2021

जयप्रकाश पुत्र श्री रूघनाथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम रसोडा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ आदेश बअदालत नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं मुकदना उनवानी सरकार बनाम जयप्रकाश, मुकदमा नं0 09/21 द्वितीय आदेश दिनांक 27.07.2021

——

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 06.12.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्डावा के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं0 181 कुल रकबा 2.76 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बणी सरहद ग्राम रसोडा, तहसील झुंझुनूं में से रकबा 0.08 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 20 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से नीचे लिखे अनुसार पेश की जा रही है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने वैश्विक महामारी के समय समस्त कार्य लोकडाउन से रूके होने के बावजूद पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को वैश्विक महामारी के समय कानूनी सहायता से वंचित कर राजनैतिक द्वेषता के चलते हुये दिनांक 29.06.2021 को रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 29.06.2021 को ही प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी 27.07.2021 नियत की गई दिनांक 27.07.2021 को ही प्रथम पेशी मे ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दर्ज दिनांक व आगामी नियम दिनांक केवल मात्र 2 कार्य दिवस में ही प्रकरण में सुनवाई कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। पटवारी हल्का भीमसर द्वारा दिनांक 29.06.2021 को एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजरी में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2021 में नाजायज कब्जा के कॉलम में तारबंदी करने का तथ्य अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा तारबंदी किये जाने के सम्बन्ध मे विशेष तथ्य व तारबंदी किस बाबत की गयी है उक्त तथ्य दर्ज नही कर अपूर्ण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की गई है। लोक डाउन अवधि मे अपीलान्ट को कानून सलाह से वंचित किया गया है। अपीलान्ट को प्रकरण में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। प्रकरण में केवल मात्र 2 तारीख पेशी में ही प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जरिये भाई जयपाल नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अपीलान्ट द्वारा स्वयं के खेत में पेड पौधे लगाने व पौधो की सुरक्षा के लिए खेत की सीमा पर तारबंदी किये जाने का लिखित कथन किया है। लेकिन साथ ही जबाब नोटिस में

अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 181 में अतिक्रमण नही किये जाने का कथन किया है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत से खसरा नम्बर 181 की भूमि का प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 366/157 की सीमा के लगती सीमा का सीमाज्ञान करवाया जाकर अपीलान्ट को अवगत कराये जाने पर तथाकथित अतिक्रमण होने पर अपीलान्ट द्वारा बाद सीमाज्ञान स्वयं के खेत की तारबंदी सीमा चिन्ह पर किये जाने को भी अण्डरटेकिंग दी गयी थी। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस व जबाब में वर्णित बिन्दू सीमा विवाद के विषय को नजरअंदाज कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। आदेश जैर बहस स्वीकिंग नही है। आदेश जैर बहस के आधार मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नही की गई है। अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के स्वयं के खेत में पेड पौधे लगा रखे है व सीमा पर पेड पौधो की सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व से रही सीमा पर ही तारबन्दी की गयी है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नही हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा जबाब में उठायी गयी सीमा विवाद की आपत्ति के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से सीमा ज्ञान व नपति कर पुनः जांच रिपोर्ट अदालत हाजा में प्रस्तुत नही करवायी गयी है। अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिक्रमण स्थल का कोई नाप नही किया है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 27.07.2021 को अस्पात किया जावे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अदालत मातहत को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट के खेत व खसरा नम्बर 181 के मध्य की सीमा का अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमा ज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे जिससे अपीलान्ट मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर स्वयं के खेत की सीमा पर तारबंदी कर सके।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने वैश्विक महामारी के समय समस्त कार्य लोकडाउन से रूके होने के बावजूद पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को वैश्विक महामारी के समय कानूनी सहायता से वंचित कर राजनैतिक द्वेषता के चलते हुये दिनांक 29.06.2021 को रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 29.06.2021 को ही प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी 27.07.2021 नियत की गई दिनांक 27.07.2021 को ही प्रथम पेशी मे ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दर्ज दिनांक व आगामी नियम दिनांक केवल मात्र 2 कार्य दिवस में ही प्रकरण में सुनवाई कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। पटवारी हल्का भीमसर द्वारा दिनांक 29.06.2021 को एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजरी में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2021 में नाजायज कब्जा के कॉलम में तारबंदी करने का तथ्य अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा तारबंदी किये जाने के सम्बन्ध मे विशेष तथ्य व तारबंदी किस बाबत की गयी है उक्त तथ्य दर्ज नही कर अपूर्ण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जरिये भाई जयपाल नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अपीलान्ट द्वारा स्वयं के खेत में पेड पौधे लगाने व पौधो की सुरक्षा के लिए खेत की सीमा पर तारबंदी किये जाने का लिखित कथन किया है। लेकिन साथ ही जबाब नोटिस में अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 181 में अतिक्रमण नही किये जाने का कथन किया है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत से खसरा नम्बर 181 की भूमि का प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 366/157 की सीमा के लगती सीमा का सीमाज्ञान करवाया जाकर अपीलान्ट को अवगत कराये जाने पर तथाकथित अतिक्रमण होने पर अपीलान्ट द्वारा बाद सीमाज्ञान स्वयं के खेत की तारबंदी सीमा चिन्ह पर किये जाने को भी अण्डरटेकिंग दी गयी थी। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस व जबाब में वर्णित बिन्दू सीमा विवाद के विषय को नजरअंदाज कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। आदेश जैर बहस स्वीकिंग नही है। आदेश जैर बहस के आधार मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नही की गई है। अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के स्वयं के खेत में पेड पौधे लगा रखे है व सीमा पर पेड पौधो की सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व से रही सीमा पर ही तारबन्दी की गयी है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य

सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नही हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा जबाब में उठायी गयी सीमा विवाद की आपत्ति के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से सीमा ज्ञान व नपति कर पुनः जांच रिपोर्ट अदालत हाजा में प्रस्तुत नही करवायी गयी है। अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिक्रमण स्थल का कोई नाप नही किया है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 27.07.2021 को अस्पात किया जावे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अदालत मातहत को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट के खेत व खसरा नम्बर 181 के मध्य की सीमा का अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमा ज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे जिससे अपीलान्ट मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर स्वयं के खेत की सीमा पर तारबंदी कर सके।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम रसोडा स्थित विवादित भूमि ख0न0 181 रकबा 2.76 है0 किस्म गै0मु0 बणी मे से 0.08 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत मे अतिक्रमण हटा लेने के संबंध मे स्वयं स्वाकारोक्ति दी है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने ग्राम रसोड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 181 कुल रकबा 2.76 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बणी में से रकबा 0.08 हैक्टर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट की ग्राम रसोड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 366 / 157 रकबा 1.39 हैक्टर उक्त अतिक्रमित भूमि खसरा नम्बर 181 गैर मुमकीन बणी की सीमा के लगते स्थित है तथा अपीलान्ट ने अपने खेत की सीमा पर तारबन्दी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजो से अपीलान्ट का यह तर्क सही है कि उसकी खातेदारी भूमि अतिक्रमित भूमि की सीमा के सहारे स्थित है। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि उक्त की गई तारबन्दी अपीलान्ट द्वारा अपने खेत की सीमा में की गई है या गैर मुमकीन बणी में ।
2. न्यायालय की दृष्टि अदालत मातहत को बेदखली के आदेश जारी करने से पूर्व मौका पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि व गैर मुमकीन बणी की भूमि का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था। उक्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है कि । अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की वह मौके पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि तथा गैर मुमकीन बणी की भूमि का सीमाज्ञान करते हुये तथा अपीलान्ट का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, 06/12/21
झुंझुनू